प्र.सं. 2/2023 मोहन बनाम मांगु के बजाय श्रीमती लीला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खटुकडा में आराजी नंबर 1142 से 1145 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष भेरा जी के तीन पुत्र हेमा, कालू व उंकार हुए। होमा लाऔलाद फोत हुआ। कालू का पुत्र मांगु हुआ जो लाऔलाद फोत हुआ, जिसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उंकार का पुत्र चुन्नीलाल जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके पुत्र वादीगण हैं। मांगु का कोई उत्तराधिकारी प्रथम अनुसूची में नहीं होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो चुके हैं। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाया जावे। अधिनस्थ ने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 05.03.2020 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13.01.2023 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट 4 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अपीलान्ट/प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी एवं वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन था। जानकारी होने पर दिनांक 30.11.2022 को नकलें प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। कोविड 19 के कारण हुए लॉकडाउन एवं भारत सरकार की गाईड लाईन तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की [illegible] अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। गुणावगुण पर [illegible] अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को [illegible]ते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदेही प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद वाद खारिज करने में गम्भीर त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया है। प्रतिवादी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:10 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 की मृत्यु प्रमाणित होने के बावजूद उसके विवाहित होने के प्रश्न को उठाकर गलत रूप से विनिश्चय किया गया है, जबकि मांगु की कोई पत्नी नहीं थी तो फिर वादीगण कैसे अपने वाद में मांगु की पत्नी होने का अभिवचन करते। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा मानते हुए वादीगण का वाद खारिज करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 1142 से 1145 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 मांगु पिता कालू भील मे नाम दर्ज है, जिसे वादीगण ने लाऔलाद फोत होना बताकर वाद प्रस्तुत किया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 विवाहित था या अविवाहित तथा उसकी पत्नी कहां है, उसका क्या हुआ इस संबंध में वादीगण द्वारा वाद में कोई अंकन नहीं किया गया है तथा बयानों के आधार पर विवादित भूमि पर रामाजी व गोदा भील का कब्जा मानते हुए आवश्यक पक्षकार के अभाव में वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अपीलान्ट का कथन है कि जब प्रतिवादी संख्या 1 मांगु की कोई पत्नी ही नहीं थी तो फिर वादीगण कैसे अपने वाद में मांगु की पत्नी होने का अभिवचन करते। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना प्रकट नहीं होता है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/वादीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.04.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:10 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर